



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-30/2023

राज्य

बनाम्

मनपूरन गोप उर्फ मनपूरन यादव

—: आदेश :-

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1276/एम0 दिनांक 28.12.2022 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-216/2022 दिनांक-14.11.2022 से संबंधित है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि सहायक अवर निरीक्षक, मोख्तार अंसारी, प्रतिनियुक्त अमरवाडीह पिकेट के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-216/2022 दिनांक-14.11.2022 दर्ज किया गया। बालूमाथ थाना प्रभारी को दिनांक 14.11.2022 को रात्रि समय करीब 12:45 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि गणेशपुर रोड से मनसिंघा जाने वाली सड़क में एक अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर मनसिंघा की ओर जा रही है, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु स0अ0नि0 मोख्तार अंसारी ने समय करीब 01:45 बजे ग्राम-गणेशपुर रोड से मनसिंघा जाने वाली सड़क के पास पहुंचने पर पाया गया कि एक ट्रैक्टर जिसमें कोयला लोड है मनसिंघा की ओर जा रही है। छापामारी दल के साथ उक्त ट्रैक्टर को रोकने का ईशारा किया गया, तो ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर को और तेज गति से भगाने लगा जिसे पीछा कर गणेशपुर रोड से मनसिंघा जाने वाली सड़क में ग्राम ओकिया के पास ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रोका गया एवं चालक को पकड़ा गया। ट्रैक्टर चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम योगेन्द्र यादव पिता-मनपूरन गोप उर्फ मनपूरन

यादव, ग्राम-मनसिंघा, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार बताया। भागने का कारण पूछने पर बताया कि उक्त ट्रैक्टर पर लोड कोयला अवैध है जिसे बिछुआटांड जंगल में राजेश यादव एवं गौरी यादव दोनों ग्राम-काशीमाटी के द्वारा चमातु कोलियरी से चून-चून कर जंगल में डम्प किया गया था जिसे उक्त ट्रैक्टर पर लोड कर ईट भट्ठा में बेचने जा रहा था। ट्रैक्टर मालिक के नाम पता पूछने पर बताया कि ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08B-9618 जो मेरे पिताजी मनपूरन गोप उर्फ मनपूरन यादव के नाम से पंजीकृत है। ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08B-9618 मॉडल 380 ईंजन नं०-D17786 चेसीस नं०-918513125958 पर करीब 2 टन अवैध कोयला लोड को विधिवत जप्ती सूची बनाकर अमरवाडीह पुलिस पिकेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। जंगल में चोरी छुपे कोयले का अवैध भण्डारण, परिवहन कर व्यापार करना एवं खरीद-बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है। ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08B-9618 चेसीस नं०-918513125958 एवं उसमें लदे करीब 2 (दो) टन अवैध कोयला के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी मनपूरन गोप उर्फ मनपूरन यादव, पिता- स्व० अमीर यादव, ग्राम-मनसिंघा, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत किया गया तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर ट्रैक्टर में लदे कोयला से संबंधित कोई वैध चालना/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत जप्त ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08B-9618

94

में लदे कोयला का वैध कागजात/चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08B-9618 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08B-9618 एवं उसपर लदे करीब 2 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।